ए-टू-जेड पर लग सकता है भारी जुर्माना

पटना | वरीय संवाददाता

नगर निगम और ए-टू-जेड के बीच विवाद और गहराने की उम्मीद है। करार के मुताबिक काम न करने के आरोप में कंपनी पर भारी जुर्माना किया जा सकता है। नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है।

करार के अनुसार काम नहीं करने के आरोप में इसके पहले भी कंपनी पर बिल का पांच फीसदी जुर्माना किया जा चुका है। हालांकि इसके बावजूद कंपनी का भुगतान नहीं किया गया है। निगम ने राजधानी की साफ-सफाई और डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने के लिए ए-टू-जेड के साथ जनवरी 2010 में सात वर्षों के लिए करार किया है। निगम ने अभी सिर्फ नूतन राजधानी अंचल के नौ वार्ड और नौ मुख्य सड़कों की सफाई की जिम्मेदारी ए-टू-जेड को दी है। अभी कंपनी ने 7.5 करोड़ भुगतान का दावा पेश किया है।

कूड़ा उठाने का समय

डोर-टू-डोर	:	सुबह 7 बजे से 11 बजे
स्वीपिंग मशीन से सफाई	:	रात में
स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज की सफाई	:	सुबह 6.30 बजे से 8.30 बजे
कूड़ा प्लाइंट से उठाव	:	सुबह 8 से 12 बजे
कूड़ा का ट्रांसपोर्टेशन	:	सुबह 7.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे

प्रत्येक पांच सौ मीटर पर रखना है डस्टबिन

जुर्माना- ● निर्धारित स्थान से अलग कूड़ा फेंकना : 5 हजार प्रति ट्रिप ● डस्टबिन और इसके आसपास से कूड़ा न उठाना : 200 रुपए प्रतिस्पॉट ● समय का पालन न करना : 500 ● वाहन को दूसरे कार्यों में लगाने पर : 10 हजार रुपए प्रति वाहन